रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 177] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 10, 1974/चैत्र 20, 1896

No. 177] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 10, 1974/CHAITRA 20, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 10th April 1974

S.O. 243.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968 namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Eleventh Amendment Order, 1974.

2. In the Exports (Control) Order, 1968, in Schedule II, after S. No. 12, the following shall be added:—

"13. Deputy Development Commissioner (Imports and Exports), Santa Cruz, Export Processing Zone, Bombay."

[No. E(C)O, 1968/AM(124)]

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1974

एस० ओ० 243 (**अ**).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 11 वां संशोधन आदेश, 1974 की संज्ञा दी जाए ।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची 2 में क्रम संख्या 12 के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

"13. उप विकास आयुक्त (आयात और निर्यात), सान्ताक्रूज निर्यात प्रक्रियागत करने वाला क्षेत्र बम्बई ।"

[सं० ई(सी)ओ, 1968/ए एम (124)]

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974